

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.3)

2017-23 के दौरान राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राप्त और उपयोग की गई निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान	207.88	240.48	385.03	557.70	453.09	422.23	2266.41
एसबीएम 1.0 और 2.0 अनुदान	171.55	-	-	-	-	0.60	172.15
कुल प्राप्त निधियां	379.43	240.48	385.03	557.70	453.09	422.83	2438.56
उपयोग	379.43	240.48	385.03	557.70	453.09	422.83	2438.56

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1)

टोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एसएलबी प्रदर्शन संकेतकों और बेंचमार्क का विवरण

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर कवरेज	नगरपालिका टोस अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता	नगरपालिका टोस अपशिष्ट के पृथक्करण सीमा	नगरपालिका टोस अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति की सीमा	नगरपालिका टोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान की सीमा	टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत की वसूली सीमा	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	टोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रयोक्ता प्रभारों के संग्रहण में दक्षता
बेंचमार्क (प्रतिशत में)	100	100	100	80	100	100	80	90
उदयपुर	100	100	80	20	0	02	98	40
राजगढ़	99	96	99	99	96	99	96	99
हिंजौन सिटी	96	85	30	0	0	0	85	0
बारां	85	85	0	0	0	0	85	0
देवली	100	100	0	0	0	0	0	0
सुजानगढ़	99	98	35	95	0	5	99	20
भिवाड़ी	80	90	85	80	85	90	90	80
बाड़ी	90	90	90	85	88	90	85	85
छोटी सादड़ी	98	97	0	0	0	0	96	0

सांभर लेक	95	80	85	0	0	0	0	80	0
जयपुर	97	90	50	50	60	10	98	10	10
जोधपुर	95	95	42	0	0	0	95	15	15
बीकानेर	90	92	46	10	11	07	96	06	06
पोकरण	89	88	0	0	0	99	0	0	0
बालोतरा	82	100	75	75	80	0	80	0	0
किशनगढ़	100	100	100	100	100	100	100	0	0
डूंगरपुर	100	100	100	70	70	40	95	30	30
भवानी मंडी	100	100	0	0	0	0	100	0	0

परिशिष्ट-III

(सन्दर्भ अनुच्छेद पैराग्राफ 3.5.3.1 देखें)

नमूना जांच किए गए चार शहरी स्थानीय निकायों में अप्रयुक्त पड़ी कम्पोस्ट मशीनों के क्रय का विवरण

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मशीन के क्रय का तरीका	उपकरण का विवरण	मशीन की आपूर्ति/स्थापना की दिनांक	मशीन की प्रति दिन की क्षमता (किग्रा में)	भौतिक निरीक्षण की तिथि	मशीन की आपूर्ति/स्थापना से भौतिक निरीक्षण तक महीने	मशीन को क्रय के लिए भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	कम्पोस्ट मशीन के अनुपयोगी पड़े रहने के कारण
1.	नगर निगम, बीकानेर	दर अनुबंध	500 और 1000 किग्रा/दिन की दो कम्पोस्ट मशीनें	19.06.2019	1500	07.08.2024	61	1500x61x30=2745	आवश्यक गीला अपशिष्ट प्रदान नहीं करना
2.	नगर परिषद, किशनगढ़	जेम	एक कम्पोस्ट मशीन 500 किग्रा/दिन	01.09.2019	500	28.05.2024	57	500x56x30=840	प्रशिक्षण प्रदान नहीं करना

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मशीन के क्रय का तरीका	उपकरण का विवरण	मशीन की आपूर्ति/स्थापना की दिनांक	मशीन की प्रति दिन की क्षमता (किग्रा में)	भौतिक निरीक्षण की तिथि	मशीन की आपूर्ति/स्थापना से भौतिक निरीक्षण तक महीने	मशीन द्वारा प्रसंस्कृत किए जाने वाले मसालों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	मशीन को क्रय के लिए भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	कम्पोस्ट मशीन के अनुपयोगी पड़े रहने के कारण
3.	नगर परिषद, हिंडौन सिटी	रु संविदा	100 किग्रा/दिन की दो कम्पोस्ट मशीनें	19.02.2019	200	29.05.2024	63	$200 \times 62 \times 30 = 372$	13.65	प्रशिक्षण प्रदान नहीं करना
4.	नगर पालिका, सांभर लेक	जेम	500 किग्रा/दिन की एक कम्पोस्ट मशीन	17.08.2019	500	29.05.2024	57	$500 \times 56 \times 30 = 840$	16.69	उपलब्ध नहीं है
कुल									87.75	

संक्षेपाक्षर

बीटीएस	बिन ट्रेकिंग सिस्टम
डीएलबी	निदेशालय, स्थानीय निकाय
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएसडब्ल्यूएम	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
एलएसजीडी	स्वायत्त शासन विभाग
एमएसडब्ल्यूएम	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
पीसीपीडी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन
आरएफआईडी	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आरएमए	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009
आरएसपीसीबी	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
आरटीपीपी	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसएलबी	सेवा स्तर बेंचमार्क
एसडब्ल्यूएम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
टीपीडी	टन प्रति दिन
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय

परिभाषा	
अवायुजीवी उपचारण	ऑक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित एक नियंत्रित प्रक्रिया
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट	कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थिर यौगिक में निम्नीकृत किया जा सकता है।
जैव-मिथेनेशन	एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है।
ज्वलनशील अपशिष्ट	प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर-बायोडिग्रेडेबल, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनःउपभोज्य, गैर-स्वतरनाक ठोस अपशिष्ट जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति किग्रा से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो।
कम्पोस्टिंग	जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित एक नियंत्रित प्रक्रिया।
सह-प्रसंस्करण	प्राकृतिक स्वनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनुपूरित, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर-बायोडिग्रेडेबल और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग।
घरेलू स्वतरनाक अपशिष्ट	घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्ट जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटी हुई पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइयां तथा सिरिज और संदूषित पट्टियां आदि।
द्वार से द्वार संग्रहण	घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी शामिल है।
डंप यार्ड/साइट	सैनिटरी लैंडफिलिंग के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई भूमि।
भस्मीकरण	उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित एक इंजीनियरीकृत प्रक्रिया।
प्रसंस्करण	कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित किया जाता है।
पुनर्चक्रण	पृथक्कृत गैर-बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जिसमें गूल उत्पादों को रागरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा।
सैनिटरी अपशिष्ट	प्रयोग किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कंडोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट।
द्वितीयक भंडारण	अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक आगे परिवहन के लिए द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपो या एमआरएफ या कूड़ादानों पर संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट का अस्थायी नियंत्रण।

पृथक्करण	ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात् बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और डेयरी अपशिष्ट, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्य दहनशील अपशिष्ट, सेनिटरी अपशिष्ट और गैर- बायोडिग्रेडेबल पुनर्चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट, घरेलू स्वतरनाक अपशिष्ट, और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट सहित बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों की छंटाई और अलग भंडारण।
ठोस अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट में स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को छोड़कर, ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, सेनिटरी अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, स्नानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई या एकत्र की गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं।
सॉर्टिंग	मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रणीय विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को अलग करना, जो पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त है।
अंतरण स्टेशन	संग्रहण क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने और आच्छादित वाहनों या कंटेनरों में अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधाओं को बड़ी मात्रा में परिवहन करने के लिए सृजित सुविधा
उपचार	किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया जिससे उसके आयतन और क्षतिकारक क्षमता को कम किया जा सके।
अपशिष्ट उत्पादक	इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर और भारतीय रेलवे, रक्षा स्थापनाओं सहित गैर-आवासीय स्थापनाएं शामिल हैं, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
अपशिष्ट बीनने वाला	एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं।

